

परियोजना का नाम :- चम्बा नगर (पुर्न0) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे0 आरक्षित/सिविल सोयम भूमि का 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(FP/UK/WATER/41746/2019)

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र/निरीक्षण टिप्पणी

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-14.02.2020 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्रस्ताव के अनुसार परियोजना हेतु चयनित संरक्षण में बांज प्रजाति के कुल 10 वृक्ष प्रभावित होंगे, जिनका व्यासवार विवरण निम्न प्रकार है :-

क0 सं0	भूमि का प्रकार	कम्पार्टमेंट	प्रजाति	प्रभावित होने वाले वृक्षों का व्यासवार विवरण							योग
				0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	सरजुला कक्षा सं0-1	बांज	04	04	02	00	00	00	00	10

उपरोक्तानुसार बांज वृक्षों का निस्तारण परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

Jooshi

(जीवन चन्द्र जोशी)

वन संरक्षक

भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड

मुनिकीरेती

Ge